

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-10/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० कुमार हिमांशु, ट्यूटर (पी०एस०एम०विभाग), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के दिनांक-27.05.2017 से 27.07.2020 तक एवं दिनांक-28.07.2020 से 12.08.2021 तक को निम्न रूप में विनियमित किया जाता है-

(i)	दिनांक-27.05.2017 से 27.07.2020 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
(ii)	दिनांक-28.07.2020 से 12.08.2021 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2 प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-10/2026-

840(2)

पटना, दिनांक 21/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/डा० कुमार हिमांशु, ट्यूटर (पी०एस०एम०विभाग), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. P. K. 20/4/26
सरकार के उप सचिव।

A